SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Saathin — Women Empowerment Directorate, Rajasthan

साथिन ग्राम पंचायत स्तर पर महिला अधिकारिता विभाग की कार्यकर्ता है — वह महिला जिससे गाँव की दूसरी महिलाएँ अपनी बात कह सकें। उसका काम महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज एवं भेदभाव जैसे...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-saathin

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

🙏 विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

साथिन ग्राम पंचायत स्तर पर महिला अधिकारिता विभाग की कार्यकर्ता है — वह महिला जिससे गाँव की दूसरी महिलाएँ अपनी बात कह सकें। उसका काम महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज एवं भेदभाव जैसे मामलों में पीड़िता को सही व्यवस्था तक ले जाना, महिला समूहों एवं बैठकों का संचालन, तथा गाँव एवं विभाग के बीच कड़ी बनना है। नाम स्वयं यही कहता है — साथिन अर्थात् साथ देने वाली। राजस्थान में यह पद बहुत पुराना है और इसका इतिहास महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह उन पदों में है जिनकी जानकारी सबसे कम फैली हुई है; प्रायः गाँव की महिलाओं को यह पता ही नहीं होता कि यह पद है और उनके गाँव में इस पर भर्ती हो सकती है। एक बात आरंभ में जान लें: यह सरकारी पद नहीं, स्वैच्छिक मानदेय सेवा का पद है — जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा 10 (दसवीं) उत्तीर्ण। केवल महिलाएँ। विवाहित होना आवश्यक नहीं है — नियम यह स्पष्ट कहते हैं। आवेदक उसी ग्राम पंचायत की मूल निवासी होनी चाहिए जिसके लिए चयन हो रहा है
भर्ती संस्था	महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान — विज्ञप्ति ज़िले के उप/सहायक निदेशक जारी करते हैं एवं आवेदन उसी कार्यालय में जमा होते हैं
आयु-सीमा	विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन के प्रकरण में 45 वर्ष तक
आरंभिक वेतन	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय — यह मानदेय है, वेतन नहीं। वर्तमान दर उप/सहायक निदेशक कार्यालय से लें
माँग	भर्ती ज़िलेवार एवं ग्राम पंचायतवार होती है, और तब निकलती है जब उस पंचायत का पद रिक्त हो — कोई राज्य-स्तरीय भर्ती नहीं होती

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी समस्याओं से जुड़ा काम
- अपने ही गाँव में रहकर वहीं की महिलाओं एवं परिवारों के बीच काम करना
- लोगों से मिलना, समझाना एवं बैठकें चलाना

क्षमताएँ

- कठिन एवं संवेदनशील मामलों में बात करने का साहस — घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह जैसे विषयों पर परिवार से बात करना इस काम का सबसे कठिन हिस्सा है, और प्रायः उसी गाँव में जहाँ आप स्वयं रहती हैं
- गोपनीयता एवं भरोसे का व्यवहार, क्योंकि जो बात आपको बताई जाती है वह प्रायः किसी और को नहीं बताई गई होती
- पढ़ने-लिखने एवं कागज़ी काम की क्षमता — आवेदन, रिपोर्ट एवं योजनाओं के प्रपत्र भरने में महिलाओं की सहायता करनी होती है

ज़रूरी कौशल

- महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना एवं आवेदन में सहायता करना
- घरेलू हिंसा, बाल विवाह एवं दहेज के मामलों में पीड़िता को सही व्यवस्था तक पहुँचाना
- महिला समूहों एवं ग्राम स्तरीय बैठकों का संचालन
- संरक्षण अधिकारी, पुलिस एवं विभाग के बीच समन्वय
- गाँव में जागरूकता कार्यक्रम एवं अभियान चलाना
- रिकॉर्ड संधारण एवं विभाग को रिपोर्ट भेजना

4 कैसे पहुँचें

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण करें। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका (कक्षा 12) से एक स्तर कम है और आशा सहयोगिनी के बराबर है।
2. यह जान लें कि यहाँ विवाहित होना आवश्यक नहीं है — और यह बात विशेष रूप से इसलिए कही जा रही है क्योंकि उसी गाँव के दूसरे मानदेय पद पर शर्त उलटी है। साथिन के नियम स्पष्ट कहते हैं कि आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है, जबकि आशा सहयोगिनी के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। अर्थात् एक अविवाहित दसवीं पास महिला के लिए साथिन का पद खुला है और आशा का नहीं। यह अंतर कहीं एक साथ नहीं छपता, और इसी कारण बहुत-सी पात्र महिलाएँ आवेदन ही नहीं करतीं।
3. अपनी ही ग्राम पंचायत के लिए आवेदन करें। आवेदक को उसी ग्राम पंचायत की मूल निवासी होना आवश्यक है, और निवास सिद्ध करने के लिए मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जन आधार, आधार, मूल निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र — इनमें से कोई दो दस्तावेज़ आवेदन में देने होते हैं। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला को ससुराल एवं मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाता है।

4. ध्यान दें कि यहाँ निवास की शर्त ग्राम पंचायत की है, आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व ग्राम की नहीं। यह छोटा-सा अंतर व्यावहारिक रूप से बड़ा है: ग्राम पंचायत में कई राजस्व ग्राम आते हैं, इसलिए साथिन के लिए पात्रता का क्षेत्र आंगनबाड़ी एवं आशा के पदों से बड़ा होता है, और जिस महिला के अपने ढाणी या ग्राम के केंद्र पर पद रिक्त नहीं है वह भी अपनी पंचायत के साथिन पद के लिए पात्र हो सकती है।

5. घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग — इस आशय की घोषणा आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है, जैसा तीनों मानदेय पदों पर है।

6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन, मय दस्तावेज़, तीन प्रतियों में उप/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता के ज़िला कार्यालय में स्वयं जाकर अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करें — प्राप्ति रसीद अवश्य लें। आवेदन की अंतिम तिथि सामान्यतः विज्ञप्ति जारी होने से 30 दिन होती है, अर्थात् समय कम मिलता है और दस्तावेज़ पहले से तैयार रखना ही व्यावहारिक तरीक़ा है।

प्रमुख परीक्षाएँ

- कोई परीक्षा नहीं होती, और चयन का ढाँचा इस पोर्टल के किसी भी अन्य पद जैसा नहीं है — साथिन का चयन ग्राम सभा करती है। उप/सहायक निदेशक आवेदनों की जाँच मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार करते हैं और वरीयता सूची तैयार करते हैं, किंतु चयन का प्रारंभिक अधिकार ग्राम सभा को होता है। ग्राम सभा की बैठक आवेदन की अंतिम तिथि से 45 दिन के भीतर होती है, और यदि किसी अपरिहार्य कारण से बैठक न हो या स्थगित हो जाए तो अगले 45 दिन में पुनः आयोजित की जाती है। यदि ग्राम सभा निर्णय न कर सके, तब अंतिम तिथि से 120 दिन के भीतर उप/सहायक निदेशक स्तरीय चयन समिति निर्णय करती है।
- चयन के लिए अलग से ग्राम सभा बुलाई जा सकती है, और नियमित ग्राम सभाओं में भी यह एजेंडा रखा जा सकता है — 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एवं विशेष ग्राम सभा की बैठकों सहित। आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है कि साथिन का चयन एजेंडा में आवश्यक रूप से रखा जाएगा और प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय किया जाएगा। यदि आपने आवेदन किया है तो ग्राम सभा की तिथि पता करके उसमें उपस्थित रहना उचित है।
- आरक्षण ग्राम पंचायत की जनसंख्या से तय होता है: जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का है, वहाँ उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य किया जाता है।
- इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि प्रक्रिया सार्वजनिक है, और यह अपने आप में एक सुरक्षा है। समस्त पात्र आवेदकों की सूचना ग्राम सभा की तिथि एवं समय के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाती है; विज्ञप्ति एवं बैठक की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा होती है; ग्राम पंचायत से अपेक्षा है कि वह सभी वार्ड पंचों को रिक्ति एवं तिथि की सूचना दे; और विकास अधिकारी बैठक के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हैं, जबकि विभाग की ओर से पर्यवेक्षक अथवा प्रतिनिधि वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों सहित उपस्थित रहते हैं। अर्थात् किसके आवेदन आए और उनके अंक क्या हैं, यह गाँव के सामने रखा जाता है।
- अंक किस आधार पर बनते हैं यह मूल्यांकन प्रपत्र में है, जो विज्ञप्ति के साथ के परिशिष्ट में रहता है और जिसमें अलग-अलग बिंदुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित हैं। यह प्रपत्र विज्ञप्ति के साथ संलग्न होता है, इसलिए इसे उप/सहायक निदेशक कार्यालय से माँगना कठिन नहीं है — और आवेदन से पहले उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे यह पता चलता है कि कौन-सा प्रमाण-पत्र जुटाने का लाभ है।
- विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता होने के प्रमाण की शर्तें विशेष रूप से जान लें, क्योंकि इन पर आयु में छूट मिलती है। विधवा के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र तथा पुनर्विवाह न करने की घोषणा आवश्यक है; तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिए सक्षम स्तर — न्यायालय अथवा उपखण्ड अधिकारी — से जारी आदेश या डिक्री की छायाप्रति दस्तावेज़ों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होती है।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Rajasthan Board of Secondary Education — the Class 10 qualification this post requires — अजमेर, राजस्थान (https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/)
- Rajasthan State Open School — for completing Class 10 or 12 after a break in schooling — जयपुर, राजस्थान (https://education.rajasthan.gov.in/)
- Deputy / Assistant Director, Women Empowerment — the district office where the form is obtained and submitted and the evaluation annexure can be asked for — प्रत्येक ज़िले में (https://wcd.rajasthan.gov.in/)

ऑनलाइन

- महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान — साथिन चयन की विज्ञप्तियाँ, परिपत्र एवं वरीयता सूचियाँ — विज्ञप्ति एवं वरीयता सूची यहीं प्रकाशित होती हैं (https://wcd.rajasthan.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

खर्च की दृष्टि से यह सबसे सुलभ रास्तों में है। कक्षा 10 सरकारी विद्यालय से लगभग नि:शुल्क है और छूटी हुई पढ़ाई राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय से पूरी की जा सकती है। आवेदन नि:शुल्क है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं है क्योंकि परीक्षा ही नहीं होती, और आवेदन ज़िला कार्यालय में जमा होता है। एकमात्र व्यावहारिक खर्च दस्तावेज़ों की प्रतियाँ एवं आने-जाने का है — पर ध्यान रहे कि आवेदन तीन प्रतियों में माँगा जाता है, इसलिए प्रतिलिपियाँ पहले से तैयार रखें। मूल्यांकन प्रपत्र में जिन योग्यताओं के अंक हैं, उनमें आर.एस.सी.आई.टी. जैसा कंप्यूटर प्रमाण-पत्र सबसे सस्ता एवं सबसे तेज़ है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कौन नौकरी देता है

- महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
- ज़िले के उप/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता के अधीन; ग्राम स्तर पर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता से समन्वय

माँग (2026)

रिक्तियाँ ग्राम पंचायतवार निकलती हैं और एक ज़िले की विज्ञप्ति में प्रायः कुछ ही पंचायतों के पद होते हैं — रिक्ति तब बनती है जब पद अधिवार्षिकी आयु, स्वैच्छिक रिक्ति अथवा किसी अन्य कारण से खाली हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके लिए महत्त्व की बात राज्य या ज़िले का कुल आँकड़ा नहीं, बल्कि यह है कि आपकी अपनी ग्राम पंचायत का पद रिक्त है या नहीं। यह जानने का तरीक़ा है — ज़िले के उप/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता कार्यालय की विज्ञप्तियाँ, ग्राम पंचायत का सूचना पट्ट, एवं विभागीय वेबसाइट नियमित देखते रहना। चूँकि आवेदन की अवधि प्रायः केवल 30 दिन होती है, देर से पता चलने पर अवसर निकल जाता है। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. इस पद में अपने आप में पदोन्नति नहीं है — साथिन मानदेय कर्मी है, राज्य कर्मचारी नहीं, इसलिए वरिष्ठता एवं पदोन्नति के वे प्रावधान लागू नहीं होते जो नियमित सेवा में होते हैं।
2. इसी विभाग में ऊपर का नियमित पद पर्यवेक्षक (महिला) का है, और इस पोर्टल पर उसका पूरा पृष्ठ है। ध्यान रहे कि वह पद कक्षा 12 नहीं, स्नातक स्तर का है और सीधी भर्ती से भरा जाता है — अर्थात् वहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ाई आगे बढ़ानी होती है, और यह पद उस पढ़ाई का विकल्प नहीं है।
3. व्यावहारिक रूप से इस पद का सबसे बड़ा लाभ अनुभव एवं जानकारी है। जो महिला साथिन के रूप में काम करते हुए योजनाओं, प्रक्रियाओं एवं कार्यालयों को समझ लेती है, उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (कक्षा 12) एवं आगे महिला पर्यवेक्षक तक का रास्ता ज़्यादा स्पष्ट एवं ज़्यादा सुलभ हो जाता है — और आंगनबाड़ी में किया गया कार्यानुभव उन चयनों में अंक भी दिलाता है।

कमाई

शुरुआत	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय (वर्तमान दर ज़िला कार्यालय से)
मध्य स्तर	मानदेय कर्मी के लिए वेतन-वृद्धि का प्रावधान नहीं
वरिष्ठ स्तर	इस पद में आगे कोई स्तर नहीं — आगे का रास्ता कक्षा 12 एवं स्नातक की ओर जाता है

इस पृष्ठ पर मासिक अंक नहीं दिया गया, और कारण बताना ईमानदारी है: साथिन के मानदेय की दर का कोई ऐसा आदेश इस काम के दौरान आधिकारिक स्रोत से पढ़ा नहीं जा सका जिसकी तिथि एवं राशि दोनों की पुष्टि हो सके। जो पुष्ट है वह यह है कि साथिन राज्य के उन मानदेय कर्मियों में गिनी जाती है जिनकी दरें राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से संशोधित करती है — उसी श्रेणी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ-बाड़ी कार्यकर्ता एवं मिड-डे-मील कुक-कम-हेल्पर भी आते हैं। इसलिए वर्तमान दर उप/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता के ज़िला कार्यालय से पूछ लें; एक अनुमानित अंक छापने के बजाय यही सही है। यह आँकड़ा मानदेय है, वेतन नहीं — और यही इस पद की सबसे बड़ी बात है जिसे पहले समझ लेना चाहिए। मानदेय पर महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वेतन-वृद्धि, पेंशन एवं वेतनमान के अन्य लाभ लागू नहीं होते; जो राशि स्वीकृत है वही मिलती है। दर तब बदलती है जब राज्य सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करती है, प्रायः बजट घोषणा की पालना में — किसी वेतन आयोग की सिफ़ारिश से नहीं। इसलिए इस पृष्ठ पर सातवें या आठवें वेतन आयोग की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका इस पद पर कोई लागू नहीं होता।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- कक्षा 10 पर, अपने ही गाँव में, बिना परीक्षा एवं बिना शुल्क के — और विवाहित होना आवश्यक नहीं। पात्रता की दृष्टि से यह गाँव की महिलाओं के लिए सबसे खुला मानदेय पद है।
- निवास की शर्त ग्राम पंचायत की है, आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व ग्राम की नहीं, इसलिए पात्रता का क्षेत्र आंगनबाड़ी एवं आशा के पदों से बड़ा है।
- चयन ग्राम सभा में, गाँव के सामने होता है, और सभी पात्र आवेदकों की सूचना पहले से पोर्टल पर आती है। यह पारदर्शिता अपने आप में एक सुरक्षा है।
- काम स्वयं ऐसा है जो जानकारी एवं आत्मविश्वास दोनों देता है — योजनाएँ, प्रक्रियाएँ एवं कार्यालय समझ में आ जाते हैं, और वह समझ आगे किसी भी दिशा में काम आती है।

चुनौतियाँ

- यह सरकारी पद नहीं है। स्वैच्छिक मानदेय सेवा का अर्थ है कोई वेतनमान नहीं, कोई महँगाई भत्ता नहीं, कोई वेतन-वृद्धि नहीं, कोई पेंशन नहीं एवं सेवा की कोई सुरक्षा नहीं।
- काम भावनात्मक रूप से कठिन है। घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह जैसे मामलों में हस्तक्षेप करने वाली महिला को उसी गाँव में रहना होता है, और सामाजिक दबाव वास्तविक होता है। यह उन कठिनाइयों में है जिनके बारे में पहले से जान लेना बेहतर है।
- चयन ग्राम सभा करती है, और इसका दूसरा पक्ष यह है कि निर्णय में स्थानीय समीकरण भी काम करते हैं। वरीयता सूची अंकों से बनती है, पर चयन का अधिकार सभा के पास है — इसीलिए ग्राम सभा की तिथि जानना एवं उसमें उपस्थित रहना महत्त्वपूर्ण है।
- रिक्ति आपकी अपनी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, और आवेदन की अवधि प्रायः केवल 30 दिन होती है। पूरी योग्यता होते हुए भी वर्षों तक अवसर न आना संभव है, और आने पर समय बहुत कम मिलता है।
- ऊपर का नियमित पद — पर्यवेक्षक (महिला) — स्नातक स्तर का है, इसलिए इस पद से सीधे उस तक कोई पदोन्नति नहीं जाती। आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जारी रखनी ही होगी।

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- पर्यवेक्षक — महिला अधिकारिता (महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान)
- बाल विकास विशेषज्ञ
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका — महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. उप निदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर — साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति 01/2026-27, दिनांक 30-06-2026 (निदेशालय का चयन परिपत्र एवं मूल्यांकन प्रपत्र सहित) — https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/OrderEntry/W_CD/2026/Order/O_010726_dbfd7f8f-4e11-4775-af02-fab07d241fbe.pdf

2. उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अलवर — साथिन के रिक्त पदों की विज्ञप्ति 02/2026, दिनांक 07-07-2026 — https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Files//Content/UploadFolder/OrderEntry/W_CD/2026/Order/O_090726_1c27e550-1663-4740-8f49-74e2b7a4cb58.pdf

3. महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान — विभागीय वेबसाइट (विज्ञप्तियाँ, परिपत्र एवं वरीयता सूचियाँ) — https://wcd.rajasthan.gov.in/

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

5. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in